2007:सीजीएचसी:10689

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय उच्च न्यायालय : जबलपुर

दांडिक अपील क्रमांक : 1798/2000

अपीलार्थीगण : 1. नन्द कुमार उर्फ नंदू पिता परदेशीराम यादव,

(जेल में) उम्र लगभग 21 वर्ष

2. बसंत पिता परदेशीराम यादव,

उम्र लगभग 23 वर्ष

3. हरिशंकर पिता परदेशीराम यादव,

उम्र लगभग 20 वर्ष

सभी निवासी- ग्राम- घोंघाडीह

पुलिस थाना- कोटा- जिला बिलासपुर(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादी : मध्यप्रदेश राज्य

दोषसिद्धि	दंडादेश
अंतर्गत धारा 302 (प्रत्येक अपीलार्थी)	आजीवन सश्रम कारावास भारतीय दंड एवं
अंतर्गत धारा 325	जुर्माना रु.3000/- जुर्माने के व्यतिक्रम में,

भारतीय दण्ड विधान	एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास एवं
(प्रत्येक अपीलार्थी)	जुर्माना रु.500/- जुर्माने के व्यतिक्रम में
अंतर्गत धारा 323	तीन माह के
भारतीय दण्ड विधान	लिए सश्रम कारावास।
(आपीलार्थी क्र. 1)	छः माह के लिए सश्रम कारावास एवं
	जुर्माना रु. (आपीलार्थी क्र. 1) 500/-
	जुर्माने के व्यतिक्रम मे एक माह का
	सश्रम कारावास। (सभी दंडादेश
	साथ-साथ चलेंगी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता।

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक दांडिक अपील क्रं. 1798/2000

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

युगलपीठः माननीय

श्रीमान एल.सी. भादू एवं माननीय

2007:सीजीएचसी:10689

श्रीमानधीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीशगण

1.3.2007

श्रीमान अभय तिवारी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण के लिए।श्रीमान आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक साथ में श्रीमान एम.पी.एस. भाटिया राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता। न्यायपीठ ने से मौखिक निर्णय सुनाया गया।

न्यायाधीश एल.सी. भादू के अनुसार

यह अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत, दिनांक 13 जून, 2000 को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 197/99 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमे चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते हुए क्रमशः भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/34 के अंतर्गत, दशरथ एवं रीबन के मानववध करित करने के लिए; भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत, बंशीलाल को गंभीर क्षतियाँ करित करने के लिए, प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास भुगतने, रुपये 3000/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया, जुर्माना अदा न किए जाने की दशा में अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा, एवं रुपये 500/- जुर्माना अदा करना होगा, जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त नंदू उर्फ नंदकुमार भी भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के अंतर्गत गगनप्रसाद एवं रामफल को सामान्य क्षतियाँ कारित करने के लिए दोषी ठहराया गया एवं छः माह सश्रम कारावास के भोगने लिए, रुपए 500/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया। जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। हालांकि, अभियुक्त बसंत एवं हरिशंकर को भारतीय दण्ड विधान की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था। सभी दंडादेश साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि आभियुक्तगण पर अधिरोपित दंडादेश अन्वेषण एवं विचारण के दौरान की निरोध अवधि के विरुद्ध समायोजित किये जाएंगे।

इस याचिका के निपटारे के लिए, अभियोजन का आवश्यक तर्क यह है कि दिनांक 2.3.1993 को ग्राम घोंघाडीह में, होली उत्सव के अवसर पर दशरथ यादव, रीबन यादव, बंशीलल यादव, बहोरिक सतनामी, नन्दकुमार ध्रुव, चरणदास दुबे एवं रेशमलाल (अ.सा.1) होली मनाने के बाद रेशमलाल (पी.1) के घर जा रहे थे। रास्ते में, गनपत के घर के पास, अभियुक्तगण नन्दकुमार यादव एवं खिलावनराम व अन्य ने बात करना शुरू कर दिया, इस बीच अभियुक्त नन्दकुमार ने बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन पर लाठी से हमला कर दिया, जिस पर नंद कुमार ध्रुर्वे ने जोर से चिल्लाया, इसलिए, अभियुक्त नन्दकुमार यादव भाग गया। जिसके बाद, बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन रेशमलाल (अ.सा.1) के घर चले गए, वे सब वहां बैठे थे, हालांकि थोड़े ही समय में बंशीलाल घर से चला गया । उसी समय, अभियुक्त नन्दकुमार, बसंत एवं हरिशंकर माँ एवं बहन की गाली देते हुए हाँथ मे लाठी लेकर आए तथा दशरथ एवं रीबन पर लाठी एवं लोहे का सरिया से हमला करना शुरू कर दिया, वे उन्हें घर के आँगन मे घसीट कर ले गए, वहाँ भी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप दशरथ एवं रीबन बेहोश हो गए एवं तत्पश्चात, अभियुक्तगण वहां से भाग गए। इस घटना में, दशरथ एवं रीबन को पूरे शरीर पर बहुत सारी चोटें आयीं। घटना रेशमलाल (पी-1), उसकी पत्नी यह अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत, दिनांक 13 जून, 2000 को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 197/99 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमे चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते हुए क्रमशः भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/34 के अंतर्गत, दशरथ एवं रीबन के मानववध करित करने के लिए;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत, बंशीलाल को गंभीर क्षतियाँ करित करने के लिए, प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास भुगतने, रुपये 3000/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया, जुर्माना अदा न किए जाने की दशा में अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा, एवं रुपये 500/- जुर्माना अदा करना होगा, जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त नंदू उर्फ नंदकुमार भी भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के अंतर्गत गगनप्रसाद एवं रामफल को सामान्य क्षतियाँ कारित करने के लिए दोषी ठहराया गया एवं छः माह सश्रम कारावास के भोगने लिए, रुपए 500/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया। जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। हालांकि, अभियुक्त बसंत एवं हरिशंकर को भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था। सभी दंडादेश साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि अभियुक्तगण पर अधिरोपित दंडादेश अन्वेषण एवं विचारण के दौरान की निरोध अवधि के विरुद्ध समायोजित किये जाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस याचिका के निपटारे के लिए, अभियोजन का आवश्यक तर्क यह है कि दिनांक 2.3.1993 को ग्राम घोंघाडीह में, होली उत्सव के अवसर पर दशरथ यादव, रीबन यादव, बंशीलल यादव, बहोरिक सतनामी, नन्दकुमार ध्रुव, चरणदास दुबे एवं रेशमलाल (अ.सा.1) होली मनाने के बाद रेशमलाल (पी.1) के घर जा रहे थे। रास्ते में, गनपत के घर के पास, अभियुक्तगण नन्दकुमार यादव एवं खिलावनराम व अन्य ने बात करना शुरू कर दिया, इस बीच अभियुक्त नन्दकुमार ने बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन पर लाठी से हमला कर दिया, जिस पर नंद कुमार ध्रुर्वे ने जोर से चिल्लाया, इसलिए, अभियुक्त नन्दकुमार यादव भाग गया। जिसके बाद, बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन रेशमलाल (अ.सा.1) के घर चले गए, वे सब वहां बैठे थे, हालांकि

थोड़े ही समय में बंशीलाल घर से चला गया । उसी समय, अभियुक्त नन्दकुमार, बसंत एवं हरिशंकर माँ एवं बहन की गाली देते हुए हाँथ मे लाठी लेकर आए तथा दशरथ एवं रीबन पर लाठी एवं लोहे का सरिया से हमला करना शुरू कर दिया, वे उन्हें घर के आँगन मे घसीट कर ले गए, वहाँ भी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप दशरथ एवं रीबन बेहोश हो गए एवं तत्पश्चात, अभियुक्तगण वहां से भाग गए। इस घटना में, दशरथ बितावन बाई (अ.सा.4) द्वारा देखी गयी थी। दशरथ एवं रीबन के परिवार के सदस्य आए और वे उन्हें बिलासपुर अस्पताल ले गए। एक घंटे के भीतर सब इन्स्पेक्टर श्री एन.एन. कड़ियम (अ.सा.18) घटना स्थल पहुंचे जिसको रेशमलाल (अ.सा.1) नें देहाती नालसी (प्रदर्श.पी-1) दिया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.पी.-35) दर्ज की गई और अन्वेषण अधिकारी द्वारा जांच शुरू की गई। जांच के दौरान यह भी पाया गया की अभियुक्तगण ने बंशीलाल के अलावा गंगाप्रसाद एवं रामफल पर भी हमला किया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में ले जाने के दौरान दशरथ की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जबकि रीबन की बिलासपुर अस्पताल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई, इस कारण, अन्वेषण अधिकारी ने पंचों को सूचना देने के बाद दशरथ के मृत शरीर (प्रदर्श.पी-32) एवं रीबन के शरीर का (प्रदर्श.पी-32) का मृत्यु समीक्षा तैयार किया। उनके शवों को शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर आर.के. गुप्ता (अ.सा.11) ने दशरथ के शव का शव परीक्षण किया, उन्होंने ध्यान दिया कि दशरथ के शव पर 8 चोटें आई हैं एवं विच्छेदन करने पर उन्होंने ध्यान दिया कि दशरथ की चौथी, पाँचवीं एवं छठवीं पसली टूटी थी, दायें हाँथ की हड्डी भी टूटी हुई थी और उन्होंने मत दिया कि दशरथ की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-21) तैयार किया। उन्होंने रीबन के शव पर भी शव परीक्षण किया, उन्होंने ध्यान दिया की रीबन के शव के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्होनें विच्छेदन पर ध्यान दिया कि बाएं ललाट की हड्डी टूटी हुई थी, रेडियस/बहि:प्रकोष्ठिका एवं अल्ना/ अन्तःप्रकोष्ठिका की हड्डियाँ भी टूटी पायी गईं थी एवं उन्होंने मत दिया की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

रीबन की मृत्यु कई चोटें आने के कारण व कोमा के कारण हुई थी एवं मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-22) तैयार किया। बंशीलाल का परीक्षण डॉ. जी.पी. नायडू (अ.सा.11) द्वारा किया गया था एवं उन्होंने ध्यान दिया कि बंशीलाल के शव पर दो चोटें आयीं और मामला विकिरण चिकित्सा विज्ञानी डॉ. एस. चटर्जी (पी-21), को निर्दिष्ट किया, जिन्होंने एक्स-रे किया एवं पाया की नवमी पसली, अग्रबाहु की अन्तःप्रकोष्ठिका हड्डी एवं दायें हाँथ की चौथी मेटकार्पल/करभिकास्थि हड्डी टूटी हुई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-44 दी। डॉ. एन.के. समदारिया (अ.सा.-22) के द्वारा गंगाप्रसाद की चोटों का परीक्षण किया गया, उनके द्वारा ध्यान दिया गया कि चोटें सामान्य थीं एवं रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-51) तैयार की। डॉ. बी. चंदानी (अ.सा.-9) के द्वारा रामफल की चोटों का परीक्षण किया गया, उनके द्वारा ध्यान दिया गया कि दो सामान्य चोटें थीं एवं रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-18) तैयार की। अभियुक्त नन्दकुमार द्वारा दिए गए मेमरेन्डम/ज्ञापन (प्रदर्श-पी-7) के अनुसरण में, एक बांस की छड़ी और एक लौहदंड (प्रदर्श-पी-10) को जब्त किया गया। खून के दाग लगी हुई एक फुल बांह वाली कमीज व पैंट (प्रदर्श-पी-11) जब्त की गई। पुलिस अभिरक्षा के दौरान हरिशंकर द्वारा मेमरेन्डम/ज्ञापन (प्रदर्श-पी-14) दिया गया एवं जिसके अनुसरण में, एक तेंदू का डंडा (प्रदर्श-पी-15) जब्त किया गया। खून के दाग लगी हुई एक फुल बांह वाली कमीज व पैंट जब्त की गई। पुलिस अभिरक्षा के दौरान हरिशंकर द्वारा मेमरेन्डम/ज्ञापन (प्रदर्श-पी-9) दिया गया एवं जिसके अनुसरण में, बांस का डंडा (प्रदर्श-पी-13) जब्त किया गया। बसंत की निशानदेही पर खून से लगी हुई एक लुंगी एवं गमछा जब्त किया गया। अन्वेषण पूर्ण हो जाने के पश्चात, अभियुक्तगण के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया गया, लेकिन उन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को सुपुर्द कर दिया जहां से प्रकरण विचारण हेतु चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, बिलासपुर को स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ। अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए 24 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तगण का कथन दण्ड प्रक्रिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियोजन साक्ष्य के दौरान उनके विरुद्ध पेश की गई उन्होंने इंकार किया और कथन किया कि वे निर्दोष हैं एवं उन्हें अपराध में झूठा फँसाया गया है, इसके विपरीत, उनके साथ मारपीट की गई थी। संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया, जैसा कि उपरोक्त वर्णन है, हालांकि, अभियुक्त बसंत एवं हरिशंकर को धारा 323 अंतर्गत भारतीय दण्ड विधान के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

हमनें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के लिए अधिवक्ता, श्री अभय तिवारी एवं राज्य के लिए श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक के साथ श्री एम.पी.एस.भाटिया, राज्यके पैनल अधिवक्ता को सुना।अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दशरथ एवं रीबन की मृत्यु को मानववध की प्रकृति के होने को विवादग्रस्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त, रेशमलाल के चक्षुदर्शी साक्ष्य (अ.सा-1), जिसने स्पष्ट कथन किया कि तीनों अभियुक्तगण नन्दकुमार, बसंत व हरिशंकर नें मृतक दसरथ एवं रीबन को लाठियों एवं लोहे के सरिया से हमला किया था। अ.सा-4 बितावन बाई नें भी उपरोक्त रेशमलाल (अ.सा-1) के साक्ष्य को संपुष्ट किया साथ ही डॉ आर.के. गुप्ता(अ.सा-11), जिन्होनें दसरथ एवं रीबन के शव का शव परीक्षण किया उन्होंने भी कथन किया कि इन दोनों की मृत्यु प्रकृति में मानववध की थी। इसलिए, उपरोक्त को देखते हुए, यह स्थापित किया जाता है कि दसरथ एवं रीबन की मृत्यु प्रकृति में मानववध की थी।अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने गंगाप्रसाद, बंसीलाल व रामफल को आई चोटों को विवादग्रस्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उनकी चोटें डॉ. जी.पी. नायडू (अ.सा-10) के साक्ष्य से भी स्थापित होती हैं, जिन्होनें बंशीलाल की चोटों का परीक्षण किया साथ ही विकिरण चिकित्सा विज्ञानी डॉ. एस. चटर्जी जिसनें यह कथन किया कि उन्होंने बंशीलाल की चोटों का एक्स रे लिया, एवं एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बंशीलल के अग्रबाहु की अन्तःप्रकोष्ठिका हड्डी एवं चौथी मेटकार्पल/करभिकास्थि टूटी हुई थी। उन्होनें प्रतिवेदन प्रदर्श-पी-44 तैयार किया। उसी प्रकार, रामफल (अ.सा-14) ने यह भी कथन किया कि नन्दकुमार नें लाठी के साथ उस पर हमला किया। डॉ. बी.आर. चंदानी (अ.सा-9), जिन्होंने रामफल की चोटों का परीक्षण किया , कथन किया कि उन्होंने दो चोटों पर ध्यान दिया और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-18 है। किया। इसी प्रकार, गंगाप्रसाद (अ.सा-23) ने यह भी कथन किया कि नन्दकुमार नें लाठी के साथ उस पर हमला किया एवं डॉ. एन. के. समदरिया (अ.सा-22), रामफल की चोटों का परीक्षण किया , जिन्होंने कथन किया कि गंगाप्रसाद को सामान्य प्रकृति की दो चोटें आयीं। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-51 है।

इसलिए, यह भी स्थापित होता है कि बंशीलाल को गंभीर चोटें आयीं एवं रामफल व गंगाप्रसाद को समान्य चोटें आयीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहां तक कि अभियुक्तगण के गंभीर चोटें कारित करने की संलिप्तता का प्रश्न है , रेशमलाल (अ.सा-1) के कथन से स्पष्ट है की होली उत्सव मनाने के बाद वे उसके घर की ओर जा रहे थे , बंशी उनका पीछा कर रहा था। नन्दकुमार सामने से आ रहा था, बंशीलाल व नन्दकुमार झगड़नें लगे। इसकेबाद, बंशी अपने घर या गया और जब वह चपरासी को बुलाने गया तब हरप्रसाद, नंदकुमार, बसंत एवं हरिशंकर अपने हांथों में लठियाँ लेकर आ गए, वे बंशीलाल से सुधाराबाई (अ.सा-3) के घर के पास मिले और बंशीलाल पर हमला कर दिया। अ.सा-2 बंशीलाल ने कथन किया कि जब वह चपरासी को बुलाने जा रहा था, उस समय वह सुधारबाई के घर के पास पहुँच गया था, अभियुक्त नंदकुमार, बसंत एवं हरिशंकर अपने हांथों में लठियाँ लेकर आए उन्होंने उस पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया और वे रेशमलाल के घर की ओर चले गए। वह सुधाराबाई (अ.सा-3) के घर में घुसा और उसे उसके पुत्र को सूचित करने के लिए कहा। सुधाराबाई का परीक्षण अ.सा-3 के रूप में किया गया और उसने स्पष्ट रूप से कथन किया की उसने अभियुक्तगण को बंशीलाल पर लाठी से हमला करते देखा है। इन दोनों

2007:सीजीएचसी:10689

साक्षियों के प्रतिपरीक्षण मे प्रतिपक्ष ऐसी कोई परस्थिति उजागर नहीं कर सका जिससे इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य पर संदेह किया जा सके। बंशीलाल को गंभीर चोटें आयीं यह डॉ. (अ.सा-10) साथ ही विकिरण चिकित्सा विज्ञानी (अ.सा-21) के साक्ष्य से पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसलिए, अभियुक्तगण की दोषसिद्धि वैध एवं निर्णायक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत है, जिसे न्यायालय के द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं है और हमारे द्वारा विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं दिखती।

जहां तक की रामफल एवं गंगाप्रसाद को कारित की गई सामान्य चोटों का संबंध है, रामफल का परीक्षण अ.सा-14 के रूप में किया गया है। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अभियुक्त नंदकुमार नें उस पर लाठी से हमला किया एवं रामफल की सामान्य चोटें डॉक्टर (अ.सा-9) द्वारा प्रमाणित की जा चुकी हैं, जिन्होंने इन चोटों का परीक्षण किया था। गंगाप्रसाद का परीक्षण अ.सा-23 के रूप में किया गया, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अभियुक्त नंदकुमार नें उस पर लाठी से दायें हाँथ पर हमला किया, वह सुधारा बाई की ओर चला गया। उसको आई चोटों का परीक्षण डॉक्टर अ.सा-22 द्वारा किया गया एवं उनकी रिपोर्ट एक्स। पी-51 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, उपरोक्त आहत साक्षियों यथा रामफल एवं गंगाप्रसाद के साक्ष्य साथ ही चिकित्सकीय साक्ष्य को देखते हुए, यह स्थापित होता है कि अभियुक्त नंदकुमार ही रामफल एवं गंगाप्रसाद को कारित क्षतियों का रचयिता था एवं इसलिए, वह भारतीय दण्ड विधान की धार 323 के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा सही तौर पर दोषसिद्ध किया गया और उस सीमा तक हमारे द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

जहां तक कि अभियुक्तगण/अपीलरथीगण की दसरथ व रीबन की हत्या करनें में संलिप्तता का प्रश्न है, रेशमलाल (अ.सा-1), जो घटना का साक्षी था, कथन

किया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर होली मनाने के बाद वे उसके घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में नंदकुमार मिला और उसने बंशीलाल को पीटना शुरू कर दिया, उसके बाद, उसने बंशीलाल को चपरासी हरप्रसाद को बुलाने भेजा, और जब बंशीलाल जब बंशीलाल जब चपरासी को बुलाने जा रहा था, सुधाराबाई के घर के पास अभियुक्तगण ने बंशीलाल पर हमला कर दिया। उसके बाद, वे बड़े ही वेग से उसके घर हाथों में लाठियाँ लेकर आए, उन्होंनें दसरथ पर लाठियों से हमला कर दिया, जो की उसकी पत्नी बितावन बाई के द्वारा भी देखा गया, उसने उसे सूचित किया कि अभियुक्तगण दसरथ पर हमला कर रहे हैं एवं उसने उसे कमरे के अंदर जाने को कहा एवं इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस समय रीबन भी उसके घर में बैठा हुआ था , अभियुक्तगण ने उसके घर का दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया, अंदर घुस गए और रीबन पर लाठी से हमला कर दिया। उन्होंनें उसको आँगन तक घसीटकर ले गए और उन्होंने उसको वहाँ भी निर्दयता से पीटते रहे। एक लौहदंड उसके घर पर रखा हुआ था, जिसे नंदकुमार द्वारा ले लिया गया एवं अभियुक्तगण नें दसरथ व रीबन पर उस लोहे का सरिया से हमला किया। उन्होंने दसरथ और रीबन के लगभग शरीर के सभी हिस्सों पर हमला किया, उनकी चोटों से खून बह रहा था, वे दोनों बेहोश हो गए और उसके बाद अभियुक्तगण भाग गए। बीतावन बाई (अ.सा-4), रेशमलाल (अ.सा-1) की पत्नी नें भी कथन किया की दसरथ, रीबन और उसका पति दोपहर में उसके घर आए थे, वे घर में बैठे बात-चीत कर रहे थे। इसी बीच में, अभियुक्त बसंत, नन्दकुमार एवं हरिशंकर बड़े ही वेग से अपनें हाथों में लाठियाँ लेकर आए, उन्होंनें दसरथ पर लाठियों से हमला कर दिया, वह दरवाजा बंद कर चुकी थी। अभियुक्त नंदकुमार नें दसरथ पर लाठी से हमला कर दिया था। इसके बाद, अभियुक्तगण ने उसके घर का दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया, एवं तीनों अभियुक्तगण ने रीबन पर लाठी से हमला कर दिया, उन्होंनें उसको आँगन तक घसीटकर ले गए और उन्होंने उसको वहाँ भी निर्दयता से पीटते रहे। उनकी चोटों से खून बह रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

गया, दसरथ एवं रीबन की चोटों से खून बह रहा था। उसके बाद अभियुक्तगण भाग गए।

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं नें तर्क किया किया कि जहां तक बीतावन बाई (अ.सा-4) के साक्ष्य का संबंध है, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि वह दरवाजा बंद कर चुकी थी, इसलिए, उसके पास अभियुक्तगण द्वारा किए गए हमलों को देखनें का कोई अवसर नहीं था। लेकिन हमनें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क में कोई सार नहीं पाया, इस कारण से कि सभी तीनों अभियुक्तगण को रेशमलाल व बीतावन बाई द्वारा उनके घर में घुसते हुए देखा गया था एवं जिस पर बीतावन बाई नें अपनें पति रेशमलाल को कमरे के अंदर जानें के लिए कहा एवं तत्पश्चात उसनें दरवाजा बंद किया और जिसे अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा धक्का मारकर खोला गया। इसलिए, जब अभियुक्तगण नें दरवाजा धक्का मारकर घर के अंदर घुसे, वहाँ बितावन बाई को घटना को देखने का हर एक अवसर था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अ.सा-5 परमेश्वर यादव, पिता दसरथ, कथन किया की घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह अपनें निवास पर टेलीविजन/दूरदर्शन देख रहा था, उसी समय एक बार नरेंद्र आया और झगड़े के बारे में सूचना दी। जिस पर वह विधालय की ओर गया और देखा की उसके पिता यह अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत, दिनांक 13 जून, 2000 को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 197/99 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमे चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते हुए क्रमशः भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/34 के अंतर्गत, दशरथ एवं रीबन के मानववध करित करने के लिए; भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत, बंशीलाल को गंभीर क्षतियाँ करित करने के लिए, प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास भुगतने, रुपये 3000/- जुर्माना अदा करने के लिए

दंडादिष्ट किया गया, जुर्माना अदा न किए जाने की दशा में अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा, एवं रुपये 500/- जुर्माना अदा करना होगा, जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त नंदू उर्फ नंदकुमार भी भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के अंतर्गत गगनप्रसाद एवं रामफल को सामान्य क्षतियाँ कारित करने के लिए दोषी ठहराया गया एवं छः माह सश्रम कारावास के भोगने लिए, रुपए 500/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया। जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। हालांकि, अभियुक्त बसंत एवं हरिशंकर को भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था। सभी दंडादेश साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि आभियुक्तगण पर अधिरोपित दंडादेश अन्वेषण एवं विचारण के दौरान की निरोध अवधि के विरुद्ध समायोजित किये जाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस याचिका के निपटारे के लिए, अभियोजन का आवश्यक तर्क यह है कि दिनांक 2.3.1993 को ग्राम घोंघाडीह में, होली उत्सव के अवसर पर दशरथ यादव, रीबन यादव, बंशीलल यादव, बहोरिक सतनामी, नन्दकुमार ध्रुव, चरणदास दुबे एवं रेशमलाल (अ.सा.1) होली मनाने के बाद रेशमलाल (पी.1) के घर जा रहे थे। रास्ते में, गनपत के घर के पास, अभियुक्तगण नन्दकुमार यादव एवं खिलावनराम व अन्य ने बात करना शुरू कर दिया, इस बीच अभियुक्त नन्दकुमार ने बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन पर लाठी से हमला कर दिया, जिस पर नंद कुमार ध्रुर्वे ने जोर से चिल्लाया, इसलिए, अभियुक्त नन्दकुमार यादव भाग गया। जिसके बाद, बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन रेशमलाल (अ.सा.1) के घर चले गए, वे सब वहां बैठे थे, हालांकि थोड़े ही समय में बंशीलाल घर से चला गया । उसी समय, अभियुक्त नन्दकुमार, बसंत एवं हरिशंकर माँ एवं बहन की गाली देते हुए हाँथ मे लाठी लेकर आए तथा दशरथ एवं रीबन पर लाठी एवं लोहे का सरिया से हमला करना शुरू कर दिया, वे

उन्हें घर के आँगन मे घसीट कर ले गए, वहाँ भी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप दशरथ एवं रीबन बेहोश हो गए एवं तत्पश्चात, अभियुक्तगण वहां से भाग गए। इस घटना में, दशरथ एवं रीबन को पूरे शरीर पर बहुत सारी चोटें आयीं। घटना रेशमलाल (पी-1), उसकी पत्नी यह अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत, दिनांक 13 जून, 2000 को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 197/99 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमे चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते हुए क्रमशः भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/34 के अंतर्गत, दशरथ एवं रीबन के मानववध करित करने के लिए; भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत, बंशीलाल को गंभीर क्षतियाँ करित करने के लिए, प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास भुगतने, रुपये 3000/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया, जुर्माना अदा न किए जाने की दशा में अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा एवं भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा, एवं रुपये 500/- जुर्माना अदा करना होगा, जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त नंदू उर्फ नंदकुमार भी भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के अंतर्गत गगनप्रसाद एवं रामफल को सामान्य क्षतियाँ कारित करने के लिए दोषी ठहराया गया एवं छः माह सश्रम कारावास के भोगने लिए, रुपए 500/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया। जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। हालांकि, अभियुक्त बसंत एवं हरिशंकर को भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था। सभी दंडादेश साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि आभियुक्तगण पर अधिरोपित दंडादेश अन्वेषण एवं विचारण के दौरान की निरोध अवधि के विरुद्ध समायोजित किये जाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस याचिका के निपटारे के लिए, अभियोजन का आवश्यक तर्क यह है कि दिनांक

2.3.1993 को ग्राम घोंघाडीह में, होली उत्सव के अवसर पर दशरथ यादव, रीबन यादव, बंशीलल यादव, बहोरिक सतनामी, नन्दकुमार ध्रुव, चरणदास दुबे एवं रेशमलाल (अ.सा.1) होली मनाने के बाद रेशमलाल (पी.1) के घर जा रहे थे। रास्ते में, गनपत के घर के पास, अभियुक्तगण नन्दकुमार यादव एवं खिलावनराम व अन्य ने बात करना शुरू कर दिया, इस बीच अभियुक्त नन्दकुमार ने बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन पर लाठी से हमला कर दिया, जिस पर नंद कुमार धुर्वे ने जोर से चिल्लाया, इसलिए, अभियुक्त नन्दकुमार यादव भाग गया। जिसके बाद, बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन रेशमलाल (अ.सा.1) के घर चले गए, वे सब वहां बैठे थे, हालांकि थोड़े ही समय में बंशीलाल घर से चला गया । उसी समय, अभियुक्त नन्दकुमार, बसंत एवं हरिशंकर माँ एवं बहन की गाली देते हुए हाँथ मे लाठी लेकर आए तथा दशरथ एवं रीबन पर लाठी एवं लोहे का सरिया से हमला करना शुरू कर दिया, वे उन्हें घर के आँगन मे घसीट कर ले गए, वहाँ भी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप दशरथ एवं रीबन बेहोश हो गए एवं तत्पश्चात, अभियुक्तगण वहां से भाग गए। इस घटना में, दशरथ बितावन बाई (अ.सा.4) द्वारा देखी गयी थी। दशरथ एवं रीबन के परिवार के सदस्य आए और वे उन्हें बिलासपुर अस्पताल ले गए। एक घंटे के भीतर सब इन्स्पेक्टर श्री एन.एन. कड़ियम (अ.सा.18) घटना स्थल पहुंचे जिसको रेशमलाल (अ.सा.1) नें देहाती नालसी (प्रदर्श.पी-1) दिया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.पी.-35) दर्ज की गई और अन्वेषण अधिकारी द्वारा जांच शुरू की गई। जांच के दौरान यह भी पाया गया की अभियुक्तगण ने बंशीलाल के अलावा गंगाप्रसाद एवं रामफल पर भी हमला किया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में ले जाने के दौरान दशरथ की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जबकि रीबन की बिलासपुर अस्पताल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई, इस कारण, अन्वेषण अधिकारी ने पंचों को सूचना देने के बाद दशरथ के मृत शरीर (प्रदर्श.पी-32) एवं रीबन के शरीर का (प्रदर्श.पी-32) का मृत्यु समीक्षा तैयार किया। उनके शवों को शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर आर.के. गुप्ता (अ.सा.11) ने दशरथ के शव का शव परीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

किया, उन्होंने ध्यान दिया कि दशरथ के शव पर 8 चोटें आई हैं एवं इस याचिका के निपटारे के लिए, अभियोजन का आवश्यक तर्क यह है कि दिनांक 2.3.1993 को ग्राम घोंघाडीह में, होली उत्सव के अवसर पर दशरथ यादव, रीबन यादव, बंशीलल यादव, बहोरिक सतनामी, नन्दकुमार ध्रुव, चरणदास दुबे एवं रेशमलाल (अ.सा.1) होली मनाने के बाद रेशमलाल (पी.1) के घर जा रहे थे। रास्ते में, गनपत के घर के पास, अभियुक्तगण नन्दकुमार यादव एवं खिलावनराम व अन्य ने बात करना शुरू कर दिया, इस बीच अभियुक्त नन्दकुमार ने बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन पर लाठी से हमला कर दिया, जिस पर नंद कुमार धुर्वे ने जोर से चिल्लाया, इसलिए, अभियुक्त नन्दकुमार यादव भाग गया। जिसके बाद, बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन रेशमलाल (अ.सा.1) के घर चले गए, वे सब वहां बैठे थे, हालांकि थोड़े ही समय में बंशीलाल घर से चला गया । उसी समय, अभियुक्त नन्दकुमार, बसंत एवं हरिशंकर माँ एवं बहन की गाली देते हुए हाँथ मे लाठी लेकर आए तथा दशरथ एवं रीबन पर लाठी एवं लोहे का सरिया से हमला करना शुरू कर दिया, वे उन्हें घर के आँगन मे घसीट कर ले गए, वहाँ भी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप दशरथ एवं रीबन बेहोश हो गए एवं तत्पश्चात, अभियुक्तगण वहां से भाग गए। इस घटना में, दशरथ एवं रीबन को पूरे शरीर पर बहुत सारी चोटें आयीं। घटना रेशमलाल (पी-1), उसकी पत्नी यह अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत, दिनांक 13 जून, 2000 को चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 197/99 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमे चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते हुए क्रमशः भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/34 के अंतर्गत, दशरथ एवं रीबन के मानववध करित करने के लिए; भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत, बंशीलाल को गंभीर क्षतियाँ करित करने के लिए, प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास भुगतने, रुपये 3000/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया, जुर्माना अदा न किए जाने की दशा में अतिरिक्त एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा एवं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा, एवं रुपये 500/- जुर्माना अदा करना होगा, जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त नंदू उर्फ नंदकुमार भी भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के अंतर्गत गगनप्रसाद एवं रामफल को सामान्य क्षतियाँ कारित करने के लिए दोषी ठहराया गया एवं छः माह सश्रम कारावास के भोगने लिए, रुपए 500/- जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया गया। जुर्माना न देने की दशा में अतिरिक्त एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। हालांकि, अभियुक्त बसंत एवं हरिशंकर को भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था। सभी दंडादेश साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि आभियुक्तगण पर अधिरोपित दंडादेश अन्वेषण एवं विचारण के दौरान की निरोध अवधि के विरुद्ध समायोजित किये जाएंगे। इस याचिका के निपटारे के लिए, अभियोजन का आवश्यक तर्क यह है कि दिनांक 2.3.1993 को ग्राम घोंघाडीह में, होली उत्सव के अवसर पर दशरथ यादव, रीबन यादव, बंशीलल यादव, बहोरिक सतनामी, नन्दकुमार ध्रुव, चरणदास दुबे एवं रेशमलाल (अ.सा.1) होली मनाने के बाद रेशमलाल (पी.1) के घर जा रहे थे। रास्ते में, गनपत के घर के पास, अभियुक्तगण नन्दकुमार यादव एवं खिलावनराम व अन्य ने बात करना शुरू कर दिया, इस बीच अभियुक्त नन्दकुमार ने बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन पर लाठी से हमला कर दिया, जिस पर नंद कुमार ध्रुर्वे ने जोर से चिल्लाया, इसलिए, अभियुक्त नन्दकुमार यादव भाग गया। जिसके बाद, बंशी यादव, दशरथ एवं रीबन रेशमलाल (अ.सा.1) के घर चले गए, वे सब वहां बैठे थे, हालांकि थोड़े ही समय में बंशीलाल घर से चला गया । उसी समय, अभियुक्त नन्दकुमार, बसंत एवं हरिशंकर माँ एवं बहन की गाली देते हुए हाँथ मे लाठी लेकर आए तथा दशरथ एवं रीबन पर लाठी एवं लोहे का सरिया से हमला करना शुरू कर दिया, वे उन्हें घर के आँगन मे घसीट कर ले गए, वहाँ भी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप दशरथ एवं रीबन बेहोश हो गए एवं तत्पश्चात, अभियुक्तगण वहां से भाग गए। इस घटना में, दशरथ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बितावन बाई (अ.सा.4) द्वारा देखी गयी थी। दशरथ एवं रीबन के परिवार के सदस्य आए और वे उन्हें बिलासपुर अस्पताल ले गए। एक घंटे के भीतर सब इन्स्पेक्टर श्री एन.एन. कड़ियम (अ.सा.18) घटना स्थल पहुंचे जिसको रेशमलाल (अ.सा.1) नें देहाती नालसी (प्रदर्श.पी-1) दिया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.पी.-35) दर्ज की गई और अन्वेषण अधिकारी द्वारा जांच शुरू की गई। जांच के दौरान यह भी पाया गया की अभियुक्तगण ने बंशीलाल के अलावा गंगाप्रसाद एवं रामफल पर भी हमला किया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में ले जाने के दौरान दशरथ की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जबकि रीबन की बिलासपुर अस्पताल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई, इस कारण, अन्वेषण विच्छेदन करने पर उन्होंने ध्यान दिया कि दशरथ की चौथी, पाँचवीं एवं छठवीं पसली टूटी थी, दायें हाँथ की हड्डी भी टूटी हुई थी और उन्होंने मत दिया कि दशरथ की मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-21) तैयार किया। उन्होंने रीबन के शव पर भी शव परीक्षण किया, उन्होंने ध्यान दिया की रीबन के शव के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्होनें विच्छेदन पर ध्यान दिया कि बाएं ललाट की हड्डी टूटी हुई थी, रेडियस/बहि:प्रकोष्ठिका एवं अल्ना/ अन्तःप्रकोष्ठिका की हड्डियाँ भी टूटी पायी गईं थी एवं उन्होंने मत दिया की रीबन की मृत्यु कई चोटें आने के कारण व कोमा के कारण हुई थी एवं मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। उन्होंने शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-22) तैयार किया। बंशीलाल का परीक्षण डॉ. जी.पी. नायडू (अ.सा.11) द्वारा किया गया था एवं उन्होंने ध्यान दिया कि बंशीलाल के शव पर दो चोटें आयीं और मामला विकिरण चिकित्सा विज्ञानी डॉ. एस. चटर्जी (पी-21), को निर्दिष्ट किया, जिन्होंने एक्स-रे किया एवं पाया की नवमी पसली, अग्रबाहु की अन्तःप्रकोष्ठिका हड्डी एवं दायें हाँथ की चौथी मेटकार्पल/करभिकास्थि हड्डी टूटी हुई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-44 दी। डॉ. एन.के. समदारिया (अ.सा.-22) के द्वारा गंगाप्रसाद की चोटों का परीक्षण किया गया, उनके द्वारा ध्यान दिया गया कि चोटें सामान्य थीं एवं रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-51) तैयार की। डॉ. बी. चंदानी (अ.सा.-9) के द्वारा रामफल की चोटों का परीक्षण किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

गया, उनके द्वारा ध्यान दिया गया कि दो सामान्य चोटें थीं एवं रिपोर्ट (प्रदर्श-पी-18) तैयार की। अभियुक्त नन्दकुमार द्वारा दिए गए मेमरेन्डम/ज्ञापन (प्रदर्श-पी-7) के अनुसरण में, एक बांस की छड़ी और एक लौहदंड (प्रदर्श-पी-10) को जब्त किया गया। खून के दाग लगी हुई एक फुल बांह वाली कमीज व पैंट (प्रदर्श-पी-11) जब्त की गई। पुलिस अभिरक्षा के दौरान हरिशंकर द्वारा मेमरेन्डम/ज्ञापन (प्रदर्श-पी-14) दिया गया एवं जिसके अनुसरण में, एक तेंदू का डंडा (प्रदर्श-पी-15) जब्त किया गया। खून के दाग लगी हुई एक फुल बांह वाली कमीज व पैंट जब्त की गई। पुलिस अभिरक्षा के दौरान हरिशंकर द्वारा मेमरेन्डम/ज्ञापन (प्रदर्श-पी-9) दिया गया एवं जिसके अनुसरण में, बांस का डंडा (प्रदर्श-पी-13) जब्त किया गया। बसंत की निशानदेही पर खून से लगी हुई एक लुंगी एवं गमछा जब्त किया गया। अन्वेषण पूर्ण हो जाने के पश्चात, अभियुक्तगण के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किया गया, लेकिन उन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को सुपुर्द कर दिया जहां से प्रकरण विचारण हेतु चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, बिलासपुर को स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ। अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए 24 साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तगण का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियोजन साक्ष्य के दौरान उनके विरुद्ध पेश की गई उन्होंने इंकार किया और कथन किया कि वे निर्दोष हैं एवं उन्हें अपराध में झूठा फँसाया गया है, इसके विपरीत, उनके साथ मारपीट की गई थी। संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया, जैसा कि उपरोक्त वर्णन है, हालांकि, अभियुक्त बसंत एवं हरिशंकर को धारा 323 अंतर्गत भारतीय दण्ड विधान के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमनें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के लिए अधिवक्ता, श्री अभय तिवारी एवं राज्य के लिए श्री आशीष शुक्ला, अतिरिक्त लोक अभियोजक के साथ श्री

एम.पी.एस.भाटिया, राज्यके पैनल अधिवक्ता को सुना।अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दशरथ एवं रीबन की मृत्यु को मानववध की प्रकृति के होने को विवादग्रस्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त, रेशमलाल के चक्षुदर्शी साक्ष्य (अ.सा-1), जिसने स्पष्ट कथन किया कि तीनों अभियुक्तगण नन्दकुमार, बसंत व हरिशंकर नें मृतक दसरथ एवं रीबन को लाठियों एवं लोहे के सरिया से हमला किया था। अ.सा-4 बितावन बाई नें भी उपरोक्त रेशमलाल (अ.सा-1) के साक्ष्य को संपुष्ट किया साथ ही डॉ आर.के. गुप्ता(अ.सा-11), जिन्होनें दसरथ एवं रीबन के शव का शव परीक्षण किया उन्होंने भी कथन किया कि इन दोनों की मृत्यु प्रकृति में मानववध की थी। इसलिए, उपरोक्त को देखते हुए, यह स्थापित किया जाता है कि दसरथ एवं रीबन की मृत्यु प्रकृति में मानववध की थी।अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने गंगाप्रसाद, बंसीलाल व रामफल को आई चोटों को विवादग्रस्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उनकी चोटें डॉ. जी.पी. नायडू (अ.सा-10) के साक्ष्य से भी स्थापित होती हैं, जिन्होनें बंशीलाल की चोटों का परीक्षण किया साथ ही विकिरण चिकित्सा विज्ञानी डॉ. एस. चटर्जी जिसनें यह कथन किया कि उन्होंने बंशीलाल की चोटों का एक्स रे लिया, एवं एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, बंशीलल के अग्रबाहु की अन्तःप्रकोष्ठिका हड्डी एवं चौथी मेटकार्पल/करभिकास्थि टूटी हुई थी। उन्होनें प्रतिवेदन प्रदर्श-पी-44 तैयार किया। उसी प्रकार, रामफल (अ.सा-14) ने यह भी कथन किया कि नन्दकुमार नें लाठी के साथ उस पर हमला किया। डॉ. बी.आर. चंदानी (अ.सा-9), जिन्होंने रामफल की चोटों का परीक्षण किया , कथन किया कि उन्होंने दो चोटों पर ध्यान दिया और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-18 है। किया। इसी प्रकार, गंगाप्रसाद (अ.सा-23) ने यह भी कथन किया कि नन्दकुमार नें लाठी के साथ उस पर हमला किया एवं डॉ. एन. के. समदरिया (अ.सा-22), रामफल की चोटों का परीक्षण किया , जिन्होंने कथन किया कि गंगाप्रसाद को सामान्य प्रकृति की दो चोटें आयीं। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-51 है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

इसलिए, यह भी स्थापित होता है कि बंशीलाल को गंभीर चोटें आयीं एवं रामफल व गंगाप्रसाद को समान्य चोटें आयीं थी।जहां तक कि अभियुक्तगण के गंभीर चोटें कारित करने की संलिसता का प्रश्न है , रेशमलाल (अ.सा-1) के कथन से स्पष्ट है की होली उत्सव मनाने के बाद वे उसके घर की ओर जा रहे थे , बंशी उनका पीछा कर रहा था। नन्दकुमार सामने से आ रहा था, बंशीलाल व नन्दकुमार झगड़नें लगे। इसकेबाद, बंशी अपने घर या गया और जब वह चपरासी को बुलाने गया तब हरप्रसाद, नंदकुमार, बसंत एवं हरिशंकर अपने हांथों में लठियाँ लेकर आ गए, वे बंशीलाल से सुधाराबाई (अ.सा-3) के घर के पास मिले और बंशीलाल पर हमला कर दिया। अ.सा-2 बंशीलाल ने कथन किया कि जब वह चपरासी को बुलाने जा रहा था, उस समय वह सुधारबाई के घर के पास पहुँच गया था, अभियुक्त नंदकुमार, बसंत एवं हरिशंकर अपने हांथों में लठियाँ लेकर आए उन्होंने उस पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया और वे रेशमलाल के घर की ओर चले गए। वह सुधाराबाई (अ.सा-3) के घर में घुसा और उसे उसके पुत्र को सूचित करने के लिए कहा। सुधाराबाई का परीक्षण अ.सा-3 के रूप में किया गया और उसने स्पष्ट रूप से कथन किया की उसने अभियुक्तगण को बंशीलाल पर लाठी से हमला करते देखा है। इन दोनों साक्षियों के प्रतिपरीक्षण मे प्रतिपक्ष ऐसी कोई परस्थिति उजागर नहीं कर सका जिससे इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य पर संदेह किया जा सके। बंशीलाल को गंभीर चोटें आयीं यह डॉ. (अ.सा-10) साथ ही विकिरण चिकित्सा विज्ञानी (अ.सा-21) के साक्ष्य से पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसलिए, अभियुक्तगण की दोषसिद्धि वैध एवं निर्णायक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 325 के अंतर्गत है, जिसे न्यायालय के द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं है और हमारे द्वारा विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं दिखती। जहां तक की रामफल एवं गंगाप्रसाद को कारित की गई सामान्य चोटों का संबंध है, रामफल का परीक्षण अ.सा-14 के रूप में किया गया है। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अभियुक्त नंदकुमार नें उस पर लाठी से हमला किया एवं रामफल की सामान्य चोटें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2007:सीजीएचसी:10689

डॉक्टर (अ.सा-9) द्वारा प्रमाणित की जा चुकी हैं, जिन्होंने इन चोटों का परीक्षण किया था। गंगाप्रसाद का परीक्षण अ.सा-23 के रूप में किया गया, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अभियुक्त नंदकुमार नें उस पर लाठी से दायें हाँथ पर हमला किया, वह सुधारा बाई की ओर चला गया। उसको आई चोटों का परीक्षण डॉक्टर अ.सा-22 द्वारा किया गया एवं उनकी रिपोर्ट एक्स। पी-51 है।

इसलिए, उपरोक्त आहत साक्षियों यथा रामफल एवं गंगाप्रसाद के साक्ष्य साथ ही चिकित्सकीय साक्ष्य को देखते हुए, यह स्थापित होता है कि अभियुक्त नंदकुमार ही रामफल एवं गंगाप्रसाद को कारित क्षतियों का रचयिता था एवं इसलिए, वह भारतीय दण्ड विधान की धार 323 के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा सही तौर पर दोषसिद्ध किया गया और उस सीमा तक हमारे द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहां तक कि अभियुक्तगण/अपीलरथीगण की दसरथ व रीबन की हत्या करनें में संलिप्तता का प्रश्न है, रेशमलाल (अ.सा-1), जो घटना का साक्षी था, कथन किया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर होली मनाने के बाद वे उसके घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में नंदकुमार मिला और उसने बंशीलाल को पीटना शुरू कर दिया, उसके बाद, उसने बंशीलाल को चपरासी हरप्रसाद को बुलाने भेजा, और जब बंशीलाल जब बंशीलाल जब चपरासी को बुलाने जा रहा था, सुधाराबाई के घर के पास अभियुक्तगण ने बंशीलाल पर हमला कर दिया। उसके बाद, वे बड़े ही वेग से उसके घर हाथों में लाठियाँ लेकर आए, उन्होंनें दसरथ पर लाठियों से हमला कर दिया, जो की उसकी पत्नी बितावन बाई के द्वारा भी देखा गया, उसने उसे सूचित किया कि अभियुक्तगण दसरथ पर हमला कर रहे हैं एवं उसने उसे कमरे के अंदर जाने को कहा एवं इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस समय रीबन भी उसके घर में बैठा हुआ था , अभियुक्तगण ने उसके घर का दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया, अंदर घुस गए और रीबन पर लाठी से हमला कर दिया। उन्होंनें उसको आँगन तक घसीटकर ले गए और उन्होंने उसको वहाँ भी निर्दयता से पीटते रहे।

एक लौहदंड उसके घर पर रखा हुआ था, जिसे नंदकुमार द्वारा ले लिया गया एवं अभियुक्तगण नें दसरथ व रीबन पर उस लोहे का सरिया से हमला किया। उन्होंने दसरथ और रीबन के लगभग शरीर के सभी हिस्सों पर हमला किया, उनकी चोटों से खून बह रहा था, वे दोनों बेहोश हो गए और उसके बाद अभियुक्तगण भाग गए। बीतावन बाई (अ.सा-4), रेशमलाल (अ.सा-1) की पत्नी नें भी कथन किया की दसरथ, रीबन और उसका पति दोपहर में उसके घर आए थे, वे घर में बैठे बात-चीत कर रहे थे। इसी बीच में, अभियुक्त बसंत, नन्दकुमार एवं हरिशंकर बड़े ही वेग से अपनें हाथों में लाठियाँ लेकर आए, उन्होंनें दसरथ पर लाठियों से हमला कर दिया, वह दरवाजा बंद कर चुकी थी। अभियुक्त नंदकुमार नें दसरथ पर लाठी से हमला कर दिया था। इसके बाद, अभियुक्तगण ने उसके घर का दरवाजा धक्का मारकर खोल दिया, एवं तीनों अभियुक्तगण ने रीबन पर लाठी से हमला कर दिया, उन्होंनें उसको आँगन तक घसीटकर ले गए और उन्होंने उसको वहाँ भी निर्दयता से पीटते रहे। उनकी चोटों से खून बह रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया, दसरथ एवं रीबन की चोटों से खून बह रहा था। उसके बाद अभियुक्तगण भाग गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं नें तर्क किया किया कि जहां तक बीतावन बाई (अ.सा-4) के साक्ष्य का संबंध है, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि वह दरवाजा बंद कर चुकी थी, इसलिए, उसके पास अभियुक्तगण द्वारा किए गए हमलों को देखनें का कोई अवसर नहीं था। लेकिन हमनें अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क में कोई सार नहीं पाया, इस कारण से कि सभी तीनों अभियुक्तगण को रेशमलाल व बीतावन बाई द्वारा उनके घर में घुसते हुए देखा गया था एवं जिस पर बीतावन बाई नें अपनें पति रेशमलाल को कमरे के अंदर जानें के लिए कहा एवं तत्पश्चात उसनें दरवाजा बंद किया और जिसे अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा धक्का मारकर खोला रेशमलाल के आँगन में पड़े हुए हैं, वहाँ उसके पिता के शरीर पर कई चोटें थीं, उसके पिता का शरीर खून

2007:सीजीएचसी:10689

से लथपथ था और उसनें देखा की रेशमलाल के घर पर सभी अभियुक्तगण रीबन पर हमला कर रहे थे। अभियुक्त नन्दकुमार के पास लोहे का सरिया एवं दूसरों के पास लाठी थी।

इन साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं, सुसंगत हैं, एवं उनके साक्ष्य में कोई विरोधाभास नहीं है, और इनके साक्ष्यों में कोई विरोधाभास नहीं है, इसके अलावा, इन ससाक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा की गई थी। वस्तुतः, यह अपराध अ.सा-1 रेशमलाल और अ.सा-4 बीतावन बाई के घर में हुआ था, उनकी उनके घर में उसस्थिति स्वाभाविक थी। प्रतिपरीक्षण में यह नहीं आया कि इन दोनों साक्षियों की अभियुक्तगण के प्रति कोई रंजिश थी ताकि वे उन्हें झूठे मामले में फँसाय जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अ.सा-11 डॉक्टर आर. के. गुप्ता, जिन्होंने शव परीक्षण किया था, स्पष्ट रूप से कथन किया कि दसरथ के शरीर पर आठ चोटें थीं एवं रीबन के शरीर पर कई चोटें थीं , इसलिए, शव परीक्षण रिपोर्ट एवं डॉक्टर आर.के. गुप्ता का साक्ष्य अ.सा-1 रेशमलाल, अ.सा-4 बितावन बाई, अ.सा-5 परमेश्वर यादव के साक्ष्य से संपुष्ट होता है। इसके अलावा, लाठी एवं लोहे का सरिया, अपराध आयुध अभियुक्तगण की निशानदेही पर बरामद किए गए और डॉक्टर नें लाठी व लौहदण्ड का परीक्षण किया, उन्होंने यह कथन किया कि सिवाय रीबन की चोट क्रमांक 1, 2, 7 एवं दसरथ की चोंट क्रमांक 1,5,6,7 के दसरथ और रीबन के शव पर पायी गई चोटें इन हथियारों से कारित की जा सकती थीं।

इसलिए, उपरोक्त चक्षुदर्शी और चिकित्सकीय को देखते हुए, अभियुक्तण मृत व्यक्तियों दसरथ व रीबन पर चोटें कारित करनें की अभियुक्तण की संलिप्तता युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होती है।

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं नें तर्क किया कि अभियुक्त नंदकुमार को भी चोटें आयीं और उसनें आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार में, हमला

2007:सीजीएचसी:10689

किया और केवल लाठियों का उपयोग किया, इसलिए, अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 304-II से आगे का नहीं बनता।

प्रथम दृष्ट्या, नंदकुमार को आई चोटों की प्रकृति, क्षति रिपोर्ट को साक्ष्य में प्रस्तुत करके या डॉक्टर द्वारा यह स्थापित नहीं की जा सकता कि नंदकुमार को किस प्रकार चोटें लगी थीं। साक्ष्य में यह कुछ नहीं था कि चोटें दसरथ व रीबन द्वारा कारित की गयीं। निजी प्रतिरक्षा के प्रयोग के लिए अभियुक्त नन्दकुमार को यह स्थापित करना आवश्यक था कि उसके शरीर को गंभीर चोटों या मृत्यु पहुचनें के खतरे की से उचित युक्तियुक्त आशंका थी।

भारतीय दण्ड विधान की धारा 102 व 105, शरीर के साथ- साथ संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के आरंभ व जारी रहने से संबंधित है। यह अधिकार अपराध करने के प्रयास या धमकी के कारण शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होते ही आरंभ हो जाता है भले हि अपराध न किया गया हो, लेकिन जब तक उचित आशंका न हो तब तक नहीं। दूसरे शब्दों में, यह अधिकार तब तक रहता है जब तक कि शरीर को संकट युक्तियुक्त आशंका बनी रहती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहां भी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवचन किया जाता है, प्रतिपक्ष का युक्तियुक्त व अधिसंभाव्य कथन न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि अभियुक्तगण द्वारा करित अपहानि या तो हमले से बचने के लिए या अभियुक्त की तरफ से भविष्य की युक्तियुक्त आशंका को पहले से रोकने के लिए आवश्यक था। निजी प्रतिरक्षा के अभिवचन का भार अभियुक्त पर होता है एवं भार अभिवचन के पक्ष में अभिलेख पर तत्वों के आधार पर अधिसंभाव्यताओं की बाहुल्यता को प्रदर्शित करते हुए उन्मोचित होता है। इस घटना में रेशमलाल (अ.सा-1) व बीतावन बाई (अ.सा-4) के साक्ष्य से यह सुव्यक्त है कि अभियुक्तगण आक्रामक थे, वे रेशमलाल के घर गए, इनके घर में दसरथ व रीबन पर हमला किया , इसलिए अभियुक्तगण को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं था। जहां तक कि अभियुक्तगण के आशय का संबंध है, प्रथम दृष्ट्या में अभियुकगण रेशमलाल के घर गये और

वहाँ वे दसरथ व रीबन को निर्दयता से पीट रहे थे, यहाँ तक की लोहे का सरिया जो की रेशमलाल के घर में रखा था उसे नन्दकुमार द्वारा उठा लिया गया, वह आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किया गया एवं शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी-11 से यह दर्शित है कि दसरथ को कारित चोटें संख्या में आठ थीं जिसके परिणामस्वरूप उसका दायाँ हाँथ टूटा था, प्रगंडास्थि टूट गई थी, दसरथ की चौथी, पाँचवीं व छठी पसलियाँ टूट गयीं थी। वैसे ही, रीबन को भी निर्दयता से पीटा गया, उसकी बहिःप्रकोष्ठिकास्थि अन्तःप्रकोष्ठिकास्थि टूटी हुई थी, अग्र प्रमस्तिष्क और पार्श्व प्रमस्तिष्क की हड्डी भी टूटी हुई थी। अतः अभियुक्तगण द्वारा जिस तरह से दसरथ व रीबन को निर्दयता से पीटा गया इससे यह स्थापित होता है कि अभियुक्तगण नें मृतक व्यक्तियों पर हत्या कारित करने के आशय से हमला किया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दसरथ की मृत्यु अस्पताल ले जाने के समय रास्ते में हो गई थी और थोड़े ही समय के अंतराल में रीबन की मृत्यु भी अस्पताल में हो गयी। अतः, अभियुक्तगण भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध करने के लिए सही तौर पर दोषसिद्ध किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूर्ववर्ती कारणों से, हम विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं पाते हैं। याचिका गुणागुण विहीन होने के कारण, खारिज होने योग्य है तदनुसार यह खारिज की जाती है।

सही /-

सही /-

एल.सी. भादू

धीरेन्द्र मिश्रा **न्यायाधीश**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By: PURUSHOTTAM DWIVEDI

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur